भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1696

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

उत्तर बंगाल में पीएमजीकेएवाई और एनएफएसए का कार्यान्वयन

1696. श्री राजू बिष्ट:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाली विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लाभार्थियों को अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अर्थात 601.84 लाख व्यक्तियों को चिह्नित किया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 9.52 लाख और कलिम्पोंग जिले में 5.17 लाख लाभार्थी हैं।

(ग): पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है: अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार। जहाँ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार, जो सबसे गरीब हैं, कानूनी रूप से प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की कोई श्रेणी नहीं है।

खाद्यान्न शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

*****